झारखण्ड सरकार
झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद

विज्ञापन संख्या : जे०सी०ई०सी०ई०बी०/32/18– 73 ,राँची/दिनांक: 10/08/2018

NEET (UG) -2018 के परीक्षाफल आधारित राज्य मेधा–सूची से एम.बी.बी.एस-(M.B.B.S), बी.डी.एस. (B.D.S) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों -(Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के निमित्त द्वितीय साक्षात्कार के आयोजन से संबंधित सांकेतिक सूचना

पर्षद कार्यालय के विज्ञापन संख्या–जे०सी०ई०सी०ई०बी०/32/18–35 दिनांक–22.06.2018 तथा विज्ञापन संख्या–जे०सी०ई०सी०ई०बी०/32/18–71 दिनांक–06.08.2018 के आलोक में NEET (UG)- 2018 में शामिल अर्हरित (Qualified) आवेदकों से प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन पत्रों के आधार पर द्वितीय साक्षात्कार के लिये तैयार औपबंधिक राज्य मेधा–सूची पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand. gov.in के Homepage में Downloads Column पर दिनांक–10.08.2018 को जारी कर दिया गया है। उक्त औपबंधिक राज्य मेधा–सूची में शामिल किसी आवेदक के प्रविष्टि में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नजर आती है तो संबंधित आवेदक द्वारा पर्षद के ई–मेल jceceboard@gmail.com पर दिनांक–11.08.2018 के अपराह्न 5.00 बजे तक भेजा जा सकता है जिसके आधार पर दिनांक–11.08.2018 को ही संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची जारी कर दी जायेगी।

प्रथम् साक्षात्कार के दौरान चिकित्सा, दंत–चिकित्सा एवं आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों के नामांकनोपरांत संस्थानों में रिक्त रह गये सीटों पर अनुशंसा भेजने के लिये, द्वितीय साक्षात्कार के लिए जारी किये जाने वाले संशोधित एवं अंतिम राज्य मेधा–सूची से दिनांक–14.08.2018 एवं दिनांक–16.08.2018 को द्वितीय साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जायेगी :–

State CML Rank (राज्य संयुक्त मेधाक्रमानुसार)

State CML Rank Range		Counselling Date & Time	State CML Rank Range		Counselling Date & Time
From	To		From	To	
1	500	14.08.2018/10:00 AM	501	800	14.08.2018/ 01:00 PM
801	1,800	16.08.2018/10:00 AM	1,801	2,768	16.08.2018/ 01:00 PM

नोटः–(a) दिव्यांगो एवं आदिम जन–जाति समूह (Primitive Tribal Group) के लिये आरक्षित सीटों का आवंटन, संयुक्त मेधाकमानुसार आयोजित साक्षात्कार के दौरान किया जायेगा।

2. साक्षात्कार में Medical Council of India, Dental Council of India एवं आयुष मंत्रालय द्वारा एम0बी0बी0एस0 (MBBS), बी0डी0एस0 (BDS) तथा आयुष स्नातक स्तरीय पाठ्यकमों (Ayush-UG Level Courses) में नामांकन के लिए निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पारसपानी, गोड्डा के पत्रांक–G-167 दिनांक–09.07.2018 से प्राप्त सूचना कि शैक्षणिक सत्र–2018–19 के लिए नामांकन की अनुमति संस्थान को अभी तक प्रदान नहीं होने तथा नामांकन हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची को स्थगित रखने के आलोक

में यदि कोई अनुशंसित अभ्यर्थी संस्थान/पाठ्यक्रम/सीट का पुनर्आवंटन कराने के लिये इच्छुक हैं तो वे अपने मेधा–कमानुसार इस साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

4. साक्षात्कार में बुलाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिये उनके कोटि एवं लिंग के अनुसार साक्षात्कार शुल्क की निर्धारित राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil) } या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा झारखण्ड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक–7/आ0 नीति (सर्वदलीय बैठक) 27/2002 (खण्ड) का0 – 3198, दिनांक 18.04.2016 के आलोक में निर्गत पत्र, पत्र सं0–14/स्थानीयता नीति–14–03/2016 का0–4650 दिनांक 02.06.2016 के अंतर्गत विहित प्रपत्र में जारी स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र तथा आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में झारखण्ड राज्य के अनुमण्डल पदाधिकारी (असैनिक) {Sub-Divisional Officer (Civil)} या उपायुक्त (Deputy Commissioner) द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची के ज्ञापांक 7/जाति–19–11/2008 का॰–10007 दिनांक 29.08.2012 के आलोक में "क्रीमी लेयर" अवधारणा के समावेश संबंधित प्रपत्र में ही जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची – 2) के अभ्यर्थी जो क्रीमी लेयर के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के पास उपरोक्त वर्णित स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण–पत्र, सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा वांछित अद्यतन प्रपत्र में निर्गत नहीं है तो अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध प्रमाण–पत्र/पत्रों तथा नये विहित प्रपत्र में ऑन–लाईन जाति एवं स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र को बनवाने के लिये आवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा साक्षात्कार के समय संबंधित प्राप्ति रसीद प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें भी संस्थान/पाठ्यकम/सीट का औपबंधिक आवंटन किया जायेगा।

स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र का प्रारूप पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम में देखा जा सकता है।

6. साक्षात्कार के समय आधार कार्ड की मूल–प्रति साथ में लाना अनिवार्य (Essential) है।

7. द्वितीय साक्षात्कार हेतु उपलब्ध अद्यतन संस्थानों/पाठ्यकमों/सीटों की विवरणी, पर्षद के अधिकृत वेबसाईट के Homepage पर Downloads कॉलम में दिनांक–13.08.2018 से देखा जा सकता है।

8. **यह केवल सांकेतिक सूचना है। साक्षात्कार के संबंध में सम्पूर्ण/विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन सं॰ जे॰सी॰ई॰सी॰ई॰बी॰/32/18–74 दिनांक–10.08.2018 अवश्य देखें, जो पर्षद के अधिकृत वेबसाईट http://jceceb.jharkhand. gov.in के Homepage पर Counselling कॉलम में जारी कर दिया गया है। इसका अवलोकन संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा निश्चित रूप से किया जाय।**

9. संशय/दुविधा की स्थिति में पर्षद के दूरभाष सं॰ 6264473891/6264473893 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–

(सुरेन्द्र कुमार,भा0प्र0से0)
परीक्षा नियंत्रक